न्यायालय अवर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी

सोनपुर सारण।

परिवाद सं0– 483/2021

जांच सं0– 72/2022

अमरनाथ राय.....परिवादी।

बनाम

1. मनोज कुमार महतो
2. सुरेन्द्र राय.....अभियुक्तगण।

दिनांक–16.02.2022

परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना। आज अभिलेख आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि यह परिवाद परिवादी अमरनाथ राय के द्वारा अभियुक्तगण 1. मनोज कुमार महतो 2. सुरेन्द्र राय के विरूद्ध धारा 341, 323, 406, 420, 504 120बी/34 भा0दं0वि0 के अंतर्गत विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सारण, छपरा के न्यायालय में दिनांक 15.02.2021 को दाखिल किया गया है। विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के द्वारा परिवाद पत्र को धारा 192(2) दं0प्र0सं0 के अंतर्गत जांच एवं निष्पादन हेतु इस न्यायालय में भेजा गया है। इस न्यायालय में परिवादी अमरनाथ राय का दिनांक 02.08.2021 को शपथ पर बयान लिया गया। परिवादी का शपथ पर बयान में कहा है कि मनोज महतो एवं सरेन्द्र राय उनके जान पहचान के व्यक्ति हैं और अक्सर उनके घर आते जाते थे। उनके द्वारा दिनांक 26.10.2014 को मनोज कुमार महतो को एक लाख रूपये सुरेन्द्र राय की उपस्थिति में दिया गया था। मनोज महतो अपने निजी काम से परिवादी से रूपये लेकर बोले की बैंक के ब्याज दर पर उसे पांच वर्षों में लौटा देंगे। उसके लिए दिनांक 26.10.2014 को एग्रिमेंट पेपर बनाया गया। जब पांच वर्ष के बाद परिवादी अपना रूपये वापस लेने के लिए मनोज महतो के पास गए तो परिवादी के साथ दुर्व्यवहार किया गया और धक्का–मुक्की की गई। परिवादी ने अपने परिवाद के समर्थन में दो जांच साक्षी

कमशः जांच साक्षी सं0 01 संतोष राय एवं जांच साक्षी सं0 02 नवीन कुमार को साक्ष्य हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया। उपर्युक्त जांच साक्षी ने परिवादी के साथ अभियुक्तगण मनोज महतो एवं सुरेन्द्र राय के द्वारा परिवादी के साथ हाथाबाही करने की बात का समर्थन किया और अभियुक्तगण के द्वारा पैसा वापस करने से माना करने की बात का समर्थन किया है। परिवादी के द्वारा अपने परिवाद पत्र के समर्थन में एग्रिमेंट का छायाप्रति न्यायालय में दाखिल किया गया है, जिसमें एक लाख रूपये परिवादी के द्वारा अभियुक्त मनोज कुमार महतो को कर्ज के रूप में बैंक ब्याज दर से भुगतान करने की शर्त पर देने की बात कही गई है। परिवादी के शपथ पर बयान, जांच साक्षी के साक्ष्य और परिवाद पत्र के अवलोकन से अभियुक्त मनोज कुमार महतो के विरूद्ध धारा 323, 341 एवं 406 भा0दं0वि0 के अंतर्गत प्रथम दृष्टया मामला बनता प्रतीत होता है। अभियुक्त मनोज कुमार महतो उपर्युक्त धारा 323, 341 एवं 406 भा0दं0वि0 के अंतर्गत विचारण हेतु आहूत किए जाने योग्य है। अतः परिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वे अभियुक्त मनोज कुमार महतो के विरूद्ध 7 दिन भीतर समन की अपेक्षिताएं दाखिल करें।

कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि परिवादी के द्वारा समन की अपेक्षिताएं दाखिल किए जाने के पश्चात् अभियुक्त के विरूद्ध उपस्थिति हेतु समन निर्गत करें।

वाद दिनांक 23.02.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

अ0मु0न्या0दं0

सोनपुर, सारण।